न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 73/2018

श्री कैलाश पुत्र श्री मालू, जाति भील, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर

..................अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अरांई

..................रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956

——————

उपस्थित :– 1. श्री गौतम टाक, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण चौधरी, सरकारी वकील

–: आदेश :–

दिनांक – 23.08.2018

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि श्री कैलाश पुत्र श्री मालू, जाति भील, निवासी ग्राम अरांई, तहसील अरांई, जिला अजमेर ने ग्राम अरांई के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1743/1 कुल रकबा 12 बिस्वा भूमि पर सम्वत 2074 में अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार अरांई के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 87/2017 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 04.10.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ उन्हे पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 90 दिवस के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 04.10.2017 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा ऐतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

होकर विवादित भूमि पर से अपना अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण हटा लेने का निवेदन कर दिया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये तथा कानूनी प्रवधानों की अनदेखी कर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वर्तमान में विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब अतिक्रमियों द्वारा अपना कब्जा हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान R.R.T. 2009(2) पेज 858 व R.R.T. 2008(1) पेज 479 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र उन्होने वाद ग्रस्त आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा माफ की जावे।

विद्धान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया है इस तथ्य को अपीलान्ट ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। जहां तक अपीलान्ट का कथन है कि उन्होने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तो इस आशय का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करें कि "उन्होने विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। तहसीलदार स्वयं विवादित भूमि का मौका निरीक्षण करे कि यदि अपीलान्ट का कब्जा हो तो सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी अन्यथा स्थिति में केवल सजा माफ की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। जिस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है। अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। जहां तक 90 दिवस के कारावास की सजा में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है, अपीलान्ट की ओर से इस अपील के साथ कब्जा नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अपीलान्ट के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में से भुगती हुई सजा को कम करते हुए शेष सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार स्वयं अथवा हल्का पटवारी के मार्फत एक सप्ताह में यह सुनिश्चित कर लेवें कि वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट ने अपना कब्जा छोड दिया है तथा उन्होने राज्य हित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर अपीलान्ट कब्जा नहीं करेगा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है, इन सब तथ्यों बाबत तहसीलदार इस प्रकरण से

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलेक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

संबंधित पत्रावली में आदेशिका उल्लेखित करने के उपरांत सजा को इस निर्णयानुसार स्थगित रख सकेगा यदि अपीलान्ट द्वारा एक माह में उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है अथवा पुनः राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है तो तहसीलदार इस निर्णय से स्थगित किए गये निर्णय को प्रभावी मानकर अपीलान्ट को नियमानुसार सजा भुगतवायेगा तथा अपीलान्ट की अपील पूर्ण रूप से खारिज मानी जायेगी एवं सजा यथावत रहेगी।

आदेश आज दिनांक 23.08.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(एम0 एल0 नेहरा)
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर

Scanned by CamScanner